कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बांका-2

पत्रांक– 466 (31?) बाँका, दिनांक– 15/2/24

प्रेषक :– कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बाँका–2

सेवा में,
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

विषय:– वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री समाधान यात्रा अन्तर्गत निर्मित पथ 3054/MR योजना अन्तर्गत राशि का अधियाचना समर्पित करने के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री समाधान यात्रा अन्तर्गत Jamdaha to Maniya Via Helipad पथ की लम्बाई– 2.390 कि0मी0 योजना अन्तर्गत कुल मो0–83,77,700–(तेरासी लाख सत्तहतर हजार साथ सौ) रूपये मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इस पत्र के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना राशि समर्पित की जा रही है।

सूचनार्थ सादर समर्पित।

अनु0:– (1) प्रशासनिक स्वीकृति की छाया प्रति।
(2) TS की छाया प्रति।
(3) मापी पुस्त की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

15/2/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल,
बाँका–2

15/2/24

15/2/24

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बांका-2

पत्रांक– 466 (3ठ0) / बाँका, दिनांक– 15/2/2024

प्रेषक :– कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बाँका–2

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री समाधान यात्रा अन्तर्गत निर्मित पथ 3054/MR योजना अन्तर्गत राशि का अधियाचना समर्पित करने के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री समाधान यात्रा अन्तर्गत Jamdaha to Maniya Via Helipad पथ की लम्बाई– 2.390 कि0मी0 योजना अन्तर्गत कुल मो0–83,77,700–(तेरासी लाख सत्तहतर हजार साथ सौ) रूपये मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इस पत्र के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना राशि समर्पित की जा रही है।

सूचनार्थ सादर समर्पित।

अनु0:– (1) प्रशासनिक स्वीकृति की छाया प्रति।
(2) TS की छाया प्रति।
(3) मापी पुस्त की छाया प्रति।

विश्वासभाजन
ह0 / –

कार्यपालक अभियंता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल,
बाँका–2

ज्ञापांक 466 (3ठ0) / बांका दिनांक 15/2/24
प्रतिलिपि – नोडल पदाधिकारी 3054/MR पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

15/2/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल,
बाँका–2

15/2/24
15/2/24

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

BIHAR RURAL ROADS PROJECT

Bihar Rural Road Development Agency (BRRDA)

DETAILED PROJECT REPORT

YEAR (2022 - 2023)

मुख्यमंत्री समाधान यात्रा अंतर्गत निर्मित

STATE SCHEME

VOLUME- I

STATE :- BIHAR
DISTRICT :- Banka
BLOCK :- Katoria

NAME OF ROAD	:-	Jamdaha To Maniya via Helipad
TOTAL LENGTH OF ROAD	:-	2.390 km
TOTAL CONSTRUCTION LENGTH OF ROAD	:-	2.390 km
TOTAL COST OF CONSTRUCTION	:-	Rs. 83.779 Lacs
COST OF ROAD CONSTRUCTION PER KM	:-	Rs. 35.054 Lacs
5 YEAR MAINTENANCE COST	:-	Rs. 21.175 Lacs
Contigency 2.25 % On Construction Cost	:-	Rs. 1.885 Lacs
TOTAL COST OF PROJECT	:-	Rs. 106.839 Lacs
TOTAL PROJECT COST PER KM	:-	Rs. 44.702 Lacs

SUBMITTED BY:
EXECUTIVE ENGINEER
RWD (W) DIVISION, BANKA-2
BANKA

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–293/2023 – 216 /पटना, दिनांक–16/01/2024

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04– 105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति/**विभागीय रूप से कराए गये कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति** प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति/**विभागीय रूप से कराए गये कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति** दी जाती हैः–

क्रम सं0	कार्य प्रमण्डल	प्रखण्ड	योजना का नाम	योजना की लम्बाई (कि0मी0)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पाँचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकास्मिक मरम्मति की राशि (लाख में)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banka-2	Katoria	Jamdaha to Maniya Via Helipad	2.390	83.77700	20.42300	0.00	104.2000
	Total			2.390				104.2000

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, **बॉका–2** योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन योजना के मूल संचिका में प्राप्त है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

5. सारणी में अंकित उक्त योजना का कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति अथवा विभागीय रूप से कराए गये कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, महोदय ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा योजना के मूल संचिका में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–293/2023 के पृ0– 7/टि0 पर दिनांक– 26.12.23 को प्राप्त है।

6

विश्वासभाजन

9/1/24

(संजय दूबे)
सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–293/2023-216 /पटना, दिनांक–16/01/2024
प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/24
सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–293/2023-216 /पटना, दिनांक–16/01/2024
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता**–2 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **बॉका–2** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/1/24
सचिव

A.A vide By Letter No - 216
dt - 16/01/2024
T/A Amount
Cons Cost :- 83.777
Main Cost :- 20.423
Total :- 104.200

मुख्यमंत्री समाधान यात्रा अंतर्गत निर्मित

T/S Amount
Cons Cost :- 83.779
Main Cost :- 20.423
Total :- 104.202
Say :- 104.20 Lacs

YEAR (2022 - 2023)

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block:--Katoria

District:--Banka

Length of Road:-- 2.390 KM

Name of Road:-- Jamdaha To Maniya via Helipad

SL. No.	Item of Work		Amount
A			
I	TOTAL COST OF CONSTRUCTION	:-	83.779 Lacs
II	CONTINGENCY 2.25 % OF TOTAL COST OF CONSTRUCTION	:-	1.885 Lacs
	Sub Total= (A)	:-	85.664 Lacs
B	FIVE YEAR MAINTENANCE COST	:-	~~21.175~~ Lacs 20.423
	TOTAL (A+B)	:-	~~106.839~~ Lacs 106.087

[signature] 20/01/24
Junior Engineer
RWD (w) Division, Banka-2

[signature] 20.01.24
Asstt. Engineer
RWD (w) Division, Banka-2

[signature] 20/1/24
Executive Engineer
RWD (w) Division, Banka-2

T.S. No.- 769/23-24 dt- 9.2.24
Ref. SE Letter No- 101 (अनु०) dt- 25/01/24
Technically Sanctioned for Rs. 104.20 Lacs
(Rupees one Crore four Lacs twenty thousand) only.
Technically sanction does not mean sanction of rate Instruction given in technical note should be followed strictly.

C/S

[signature] 25.1.24
Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Bhagalpur
[initials] 25/01/24

[signature] 09/02/24
Chief Engineer-2
Rural Works Department
Patna
[signature] 9.2.24

SUMMARY OF COST ESTIMATE FOR THE PROJECT

NAME OF ROAD : Jamdaha To Maniya via Helipad

DISTRICT Banka
BLOCK Katoria
TOTAL LENGTH OF ROAD (in Km) 2.390
TOTAL CONSTRUCTION LENGTH OF 2.390
LENGTH OF BT PAVEMENT 2190
LENGTH OF CC PAVEMENT 200

CD STRUCTURES
300 mm Utility Pipe 2

Sl. No.	DESCRIPTION		AMOUNT (LAKHS)
1	PREPARATORY WORKS ,SITE CLEARANCE , DISMANTLING		1.024
2	EARTHWORK		6.844
3	GSB		9.658
4	WBM GRADE II		1.731
5	WBM GRADE III		9.458
6	PRIME COAT		1.194
7	TACK COAT		1.547
8	Mix Seal Surfacing		1.634
9	SDBC		23.199
10	CC PAVEMENT		8.246
11	COST OF RAMP		
12	ROAD FURNITURES , KM STONES , TRAFFIC & DIRECTION SIGN, PMGSY LOGO		4.769
	SUB TOTAL OF PAVEMENT COST IN LACS = (A)		**69.305**
13	**CROSS DRAINAGE STRUCTURES**		
I	HUME PIPE		0.000
II	RCC		0.000
III	BOX		0.000
IV	Utility Pipe (300 mm Dia)		0.182
V	DISMANTLING OF CD		0.000
VI	REPAIR OF CD WORK		0.000
	SUB TOTAL OF CD STRUCTURES COST IN LACS = (B)		**0.182**
	TOTAL (A+B) =		**69.487**
	Labour Cess @ 1 %		0.695
	GST @ 18 %		12.508
	Add Seigniorage Fee @ 10%		1.089
	Sub Total Cost ` :-- (C)		**83.779**
	Add Contingency Charges @ 2.25 % of Sub Total ` :-- (D)		**1.885**
	Total Cost of 5 years Maintenance (IN LACS) :--	17.061	~~17.693~~
	Labour Cess @ 1 %	0.171	~~0.177~~
	GST @ 18 %	3.071	3.185
	Add Seigniorage Fee @ 10%		0.120
	TOTAL = (E)	20.423	~~21.175~~
	TOTAL COST OF PROJECT IN LACS = (C+D+E)	106.087	~~106.839~~

20/01/24
Junior Engineer
RWD (w) Division, Banka-2

20.01.24
Assistant Engineer
RWD (w) Division, Banka-2

20/1/24
Executive Engineer
RWD (w) Division, Banka-

5

मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक– /पटना,दिनांक–

प्रेषक,

ई0 श्रीप्रकाश,
मुख्य अभियंता–2

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **भागलपुर।**

विषयः– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बाँका–2** के अधीन MR-3054 **अन्तर्गत** स्वीकृत **01 (एक)** अदद पथ को विभागीय रूप से निर्माण/मरम्मति कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–101 अनु0 दिनांक–25.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त **01 (एक)** अदद पथ का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। **योजना का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग तथा प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र** के परिशिष्ट **'क'** के क्रमशः **स्तम्भ–2, 4 से 8 एवं 9** में अंकित है।

2. **प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है,** जो कि पत्र के **परिशिष्ट'क'** के स्तम्भ **04 से 08** में अंकित है।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के अवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एव कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की **5वीं** तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
7. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, **भागलपुर** ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं है का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अद्यतन अनुसूचित दर पर अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
10. पत्र के साथ **प्रावैधिक टिप्पणी** की प्रति संलग्न है।

अनु0– परिशिष्ट "क" एवं स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,
ह0/–
मुख्य अभियंता–2

ज्ञापांक– 574 /पटना, दिनांक– 10.02.24

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, **बाँका–2** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.02.24
मुख्य अभियंता–2

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नामः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंगः–परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 04 से 08 के अनुसार।

विवरणी

1. **प्रावैधिक स्वीकृति की राशिपरिशिष्ट'क'** के स्तम्भ **09** में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य **बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 योजना** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, **भागलपुर** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः–

   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन एवं प्री–लेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एस0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत प्राक्कलन के साथ संलग्न लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर किया गया एवं जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एव स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में **Rural Roads SpecificationRural Roads Manual (IRC SP :20) तथा IRC SP :72 एवं IRC SP :62** की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।

15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो ले तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में **बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत योजना** की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से **बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत** की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत ग्रामीण कार्य विभाग/**BRRDA**, बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।
21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो ले कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण–नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन– ।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केन्द्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरान्त प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण–पत्र देंगे।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी आँकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर न्यूनतम दर का प्रावधान अधीक्षण अभियंता, सुनिश्चित करेंगे।
29. अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से दर विश्लेषण की जॉच कर लेंगे। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

मुख्य अभियंता–2
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

D:\Office 29-07-2022\CE-2 Work\All Scheme\TS\MR-3054\3054 MR.Docx

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बॉका–2 के अधीन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत योजनाओं की सूचीः–

sl no.	Name of Scheme	Length (in k.m)	Administrative Approval (For Department Work)					T.S Cost (in Lakh) (For Department Work)
			Department Ref Lett. No. / Date	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakh)	Cost. Of 5 year Maint. (in Lakh)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakh)	Total Cost (in Lakh)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JamdahaTo Maniya Via Helipad	2.390	216/16.01.24	83.7770	20.4230	0.0000	104.200	104.200

Chief Engineer-2
R.W.D, Patna